नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक्, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर(छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2512500, ई-मेल: ceo.nranvp@cg.gov.in

क्र. 6(1) अति./भूमि प्रभाग/NRANVP/2026, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: /07/2026

प्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान में सोशल मीडिया एवं अन्य प्रतिष्ठानों के द्वारा खबर प्रकाश में आई है कि ग्राम–तूता, प.ह.नं.–15. रा.नि.मं.–केन्द्री, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर(छ.ग.) में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत् नोटिस चस्पा किया गया है। उक्त खबर के प्रकाशन से आमजन के मन में भ्रांतियाँ उत्पन होने की संभावना है। अतः वस्तुस्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है।

तथ्य यह है कि ग्राम–तूता में अतिक्रमण के संबंध में लगातार शिकायतें नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को प्राप्त होती रही है जिसकी प्रतिलिपि इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। चूंकि शिकायतें लगातार प्राप्त होती रही है, अतः शिकायतों के निराकरण के अनुक्रम में विधिवत निरीक्षण पश्चात् कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 02.07.2026 को ग्रामीण जन एवं समाज के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में आकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत यह अवगत कराया गया कि ग्राम में पुनः सभी पक्षों की बैठक आहुत कर आम सहमति बनाने पश्चात् पुनः नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा कर लोकहित में समाधान निकाला जाएगा।

अवगत होवें कि खसरा नं. 645 तथा उससे लगी भूमि पर ***''राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यथा राज्य वैक्सिन भण्डार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, आल इंडिया इंस्टीट्यूट स्पीच एण्ड हियारिंग, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण ''*** हेतु भूमि का चिन्हांकन किया गया है जो कि स्वास्थ्य तथा इससे संबंधित चिन्हांकित सम्पूर्ण संस्थाओं का होना लोकहित में अत्यंत आवश्यक है अतिक्रमण होने की स्थिति में संस्थाओं का निर्माण बाधित हो रहा है। तत्संबधं में ग्रामपंचायत द्वारा भी समय–समय पर ग्राम के अन्य स्थलों पर अतिक्रमण हटाने बाबत् पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा है। अतः लोकहित में विधिवत निरीक्षण कर संबंधितों को प्राथमिक कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण लोकहित में नियमों तथा कानुन की परिधि में रहते हुये कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। अधिकारिक तौर पर लोकहित में तथा पूरी संवेदनशीलता के साथ ही अग्रिम किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जावेगा। वर्षा ऋतु में विस्थापन की कार्यवाही नहीं की जावेगी।

प्रति,

मानननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

विषय :- **मानननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/09/2025 के अनुसार खसरा नं. 645/19 निजी भूमि से आने-जाने की रास्ता से शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किये जाने बाबत्।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मैं आनंद राम साहू पिता स्व. श्री मनराखन साहू ग्राम तूता, तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 का निवासी हूं। मेरे स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि जिसका खसरा नंबर 645/19 रकबा 0.049 हेक्टेयर वाके मौजा तूता, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं. केन्द्री, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर छ0ग0 में स्थित है।

महोदय, मेरे उक्त निजी भूमि से आने-जाने की रास्ता जो कि शासकीय भूमि ख.नं. 645/1 के भाग पर है जिसमें भागीरथी पिता स्व. रामचरण धृतलहरे ग्राम तूता निवासी ने अवैध कब्जा किया है जिसके कारण मेरे निजी भूमि में आने-जाने की रास्ता बंद हो गया है।

महोदय, इस संबंध में मैं आपके कार्यालय में दिनांक 30/12/2020, 05/01/2021, 08/02/2023, 22/05/2024 एवं दिनांक 23/10/2024 को आवेदन किया था, किन्तु आज तक उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया है।

महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण मैं मानननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक रिट याचिका दायर किया था जिसका WPC No. 5000/2025 है। इस याचिका की सुनवाई दिनांक 26/09/2025 को हुई है जिसके आदेश की कापी इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं। इस संबंध में मानननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आपको कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया है।

अतः मानननीय महोदय जी से निवेदन है कि मेरे उक्त निजी भूमि में आने-जाने की रास्ता से अतिक्रमण हटाये जाने की कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक-15/10/2025

आवेदक
आनंद राम साहू

संलग्न -

1. मानननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ0ग0 के आदेश की कापी।
2. मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदनों की कापी।

प्रति,

माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन नवा रायपुर (छ0ग0)

विषय :— ख.नं. 645/19 निजी भूमि से आने–जाने की रास्ता से लगे शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मैं आनंद राम साहू पिता स्व. श्री मनराखन साहू ग्राम तूता, विकासखंड अभनपुर, तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 का निवासी हूं। मेरे स्वामित्व एवं आधित्पय की भूमि जिसका खसरा नंबर 645/19 रकबा 0.049 हेक्टेयर वाके मौजा तूता, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं. अभनपुर तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0 में स्थित है।

महोदय, मेरे उक्त निजी भूमि से आने–जाने की रास्ता जो कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 645/1 के भाग पर है जिसमें भागीरथी पिता स्व. रामचरण धृतलहरे ग्राम तूता निवासी ने विगत 2021 से अवैध कब्जा किया है। जिससे मेरे निजी भूमि में आने–जाने की रास्ता बंद हो गया है।

महोदय, इस संबंध में मैं आपके कार्यालय में दिनांक 05/01/2021, दिनांक 02/05/2022, दिनांक 08/02/2023 एवं दिनांक 22/05/2024 को आवेदन किया था किन्तु आज तक उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया है।

अतः माननीय महोदय जी से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे उक्त निजी भूमि में आने–जाने की रास्ता से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करने की महान कृपा करें।

दिनांक–23/10/2024

आवेदक

आनंद राम साहू

आनंद राम साहू

4.11.24

C.E.O.
N.R.A.N.V.P.
Distt. Raipur (C.G.)

RI

AM(Land)

23/10/24

कार्यालय ग्राम पंचायत, तूता

वि.खं. अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

सरपंच
श्रीमती कौशिल्या कोमल धृतलहरे
मोबा.- 7999628876

उपसरपंच
रामकृष्ण बैस
मोबा.- 7566885050

क्रमांक

दिनांक 24.07.2023

प्रति

महा प्रबंधक (भूमि)
नवा रायपुर अटल नगर विकास
प्राधिकरण, जिला रायपुर छ.ग.

विषय:- खेल मैदान आरक्षित करने बाबत।

नवा रायपुर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत तूता मे खसरा नं. 403/03 पर खेल मैदान आरक्षित किया जाये ताकि गांव के सभी बच्चें खेल मैदान नही होने से वंचित न हो अभी वर्तमान मे उक्त स्थल पर बच्चों द्वारा कबड्डी, क्रिकेट, खो, खो आदि खेल सिखा व खेला जाता है। जिस पर कुछ ग्रामीणो द्वारा चिन्ह मारकर अपने कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। उक्त स्थल कब्जा होने से बच्चो के लिए खेल सिखने एंव खेलने हेतु अन्य स्थान नही है।

अतः निवेदन है कि ग्राम तूता खसरा नं. 403/03 को खेल मैदान के लिए आरक्षित किया जाए।

। धन्यवाद ।

कौशिल्या धृतलहरे
सरपंच
ग्राम पंचायत तूता
जनपद पंचायत अभनपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत तूता

जनपद पंचायत अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

भरत बैस
सरपंच
ग्राम पंचायत तूता

कार्यालय - पंचायत भवन तूता
निवास - ग्राम तूता, वि.ख.-अभनपुर
जिला- रायपुर (छ.ग.)
मो.नं.- 8319268124

क्रमांक -.....9...   दिनांक - 15/07/26

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय :– ग्राम पंचयात तूता स्थित तेली तालाब हनुमान मंदिर के आस–पास किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने बाबत्।

––000––

महोदय जी

निवेदन है कि नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत तूता लेयर–I स्थित तेली तालाब हनुमान मंदिर के आस–पास अवैध अतिक्रमण कर दुकान संचालित किया जा रहा है। जिसमें अवैध रूप से मादक पदार्थो का व्यापार किया जा रहा है जिससे गांव का माहौल खराब होने से नव युवकों के उपर खराब प्रभाव पड़ रहा है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त स्थल का अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भरत बैस
सरपंच
ग्राम पंचायत तूता
जनपद पंचायत अभनपुर

6365 दिनांक 15/07/25

N.R.A.N.V.P

E-OFFICE-DATE..........
SCAN & DISPATCHED

<u>समक्ष श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)</u>

01. आनंद ~~कुमार~~ राम साहू
पिता–स्व. मनराखन साहू
02. तुकाराम साहू
पिता–स्व. मनराखन साहू
03. संतोष साहू
पिता–स्व. मनराखन साहू
तीनो निवासी–ग्राम–तुता, तह.–अभनपुर,
जिला–रायपुर (छ.ग.) ....आवेदकगण

<u>विरुद्ध</u>

01. भागीरती वल्द रामचरण सतनामी
02. श्रीमती कल्याणी बाई
पति–छन्नूलाल सतनामी
03. कौशिल्या बाई
पिता–छन्नूलाल सतनामी
04. पूनम बाई
पिता–छन्नूलाल सतनामी
सभी निवासी– ग्राम–तुता, तह.–अभनपुर,
जिला–रायपुर (छ.ग.) ....अनावेदकगण

C.E.O.
N.R.A.N.V.P.
Distt. Raipur (C.G.)

आवक क्र. 5879 दिनांक 08.02.23
(स्थापना प्रभाग)
न.रा.अ.न.वि.प्रा. जिला-रायपुर (छ.ग.)

<u>आवेदन पत्र वास्ते शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत्।</u>

आवेदकगण सविनय निम्न प्रस्तुत करते है :–

01. यह कि आवेदकगण आपस में सगे भाई हैं, जो ग्राम तुता, प.ह.नं. –20, रा.नि.मं. एवं तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नं.–645/19, 645/20, 645/21 रकबा क्रमशः 0.049 हे0, 0.037 हे0 एवं 0.053 हे0 भूमि आवेदकगण के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है, जिस पर आवेदकगण शांतिपूर्वक दाखिल व काबिज चले आ रहे हैं।

02. यह कि आवेदकगण की भूमि स्वामी हक की उपरोक्त भूमि के पूर्व दिशा के शासकीय भूमि खसरा नं.–645/1 रकबा–25.906 हे0

भूमि स्थित है, जिसमें से आवेदकगण का अपनी भूमि पर आने-जाने का रास्ता है, अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जो आवेदकगण की भूमि पर आने-जाने के रास्ता जो कि शासकीय भूमि है, के भाग लगभग 1500 वर्गफुट पर अवैध कब्जा कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिये हैं, जिससे आवेदकगण को अपनी भूमि पर आना-जाना अवरूद्ध हो गया है। अनावेदकगण का उक्त कृत्य सर्वथा अनुचित, नाजायज एवं अवैध है।

03. यह कि अनावेदकगणो को शासकीय भूमि पर से अवैध कब्जा हटा लेने का निवेदन करने पर अनावेदकगण एकमत होकर आवेदकगणों के साथ गाली-गालौज करते हैं और अपनी जाति का अनुचित लाभ उठाकर आवेदकगणों को झूठे मामले में फंसा देने की धमकी देते हैं तथा अवैध कब्जा को नहीं हटा रहे हैं।

04. यह कि आवेदकगणों ने अतिरिक्त तहसीलदार अभनपुर, जिला-रायपुर छ.ग. के समक्ष अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रं.-202201114000036-ब/121 वर्ष 2021-22 है, जिसमें अतिरिक्त तहसीलदार अभनपुर ने ग्राम-तुता स्थित शासकीय भूमि खसरा नं.-645/1 रकबा-25.906 हे0 भूमि माननीय नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्षेत्र होने का निष्कर्ष प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने का क्षेत्रधिकार माननीय महोदय को होने बाबत् आदेश दिनांक-12/01/2023 को पारित किये हैं, जिसमें अनावेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अवैध कब्जे का प्रमाणित पाये हैं, जिसके कारण से आवेदकगण माननीय महोदय के समक्ष अनावेदकगणो द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अवैध कब्जा को हटवाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहे हैं।

अतः आवेदकगण सविनय प्रार्थी है कि माननीय महोदय न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर ग्राम-तुता, प.ह.नं.-20, रा.नि.मं. एवं तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. स्थित शासकीय भूमि खसरा नं.-645/1 रकबा-25.906 हे0 के लगभग 1500 वर्गफुट पर अनावेदकगणो द्वारा किये अवैध कब्जे को हटवाये जाने की कृपा करें।

रायपुर छ.ग.
दिनांक- 8-2-23

आनंदराम साहू
आवेदकगण
ग्राम- तुता